पत्रावली 16/28

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 62 / 2023

उनवान

1. रामलाल पुत्र गोदू उर्फ गोरधन जाति जाट निवासी तिहारी तहसील नसीराबाद,
2. रूकमा पुत्री नन्दू,
3. मैना,
4. ममता पुत्री राधा पुत्री नन्दू जाति जाट,
5. सुरेश पुत्र राधा पुत्री नन्दू जाट,
6. बलराम पुत्र राधा पुत्री नन्दू समस्त जातिगण जाट निवासीगण भगवानपुरा तहसील सरवाड जिला अजमेर।

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 3.1.24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तिहारी की निम्न आराजी वादीगण की आवंटनशुदा खातेदारी की है :–

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4499 मिन	17–13–0 में से 8–16–10	3700	0.72
		3701	0.44
		3702	1.70

ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 4499 मिन रकबा 17–13–0 में से 8–16–0 की आराजी वादीगण के पूर्वज सुरजमल व हंगामीलाल पुत्रगण गोरधन को आधा हिस्सा तथा रामलाल, लक्ष्मीनारायण, विजयकरण पुत्रगण देवा को आधा हिस्सा दिनांक 23.06.1985 को आवंटन की गयी। उक्त आवंटन का वंर्किग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 781 दिनांक 21.05.1987 से गैर खातेदारी दर्ज की गयी। वादीगण के पूर्वज उक्त आवंटियों की मृत्यु हो गयी है जिनके वारिस वादीगण ही है। आवंटन दिनांक से वादीगण आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वंर्किग खसरा नम्बर 4499 मिन रकबा 17–13–0 के हाल खसरा नम्बर 3700 रकबा 0.72, 3701 रकबा 0.44 व 3702 रकबा 1.70 हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। अतः हाल खसरा नम्बर में से वंर्किग जमाबंदी व आवंटन

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुसार वादीगण के नाम पुनः खातेदारी दर्ज की जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा विधिवत रूप से सिवायचक दर्ज है। वादीगण खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी नही है। वादीगण का कब्जा काश्त नही होने व सम्पूर्ण आराजी का नामान्तकरण अंकन नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा वादीगण के पूर्वज को विधिवत आवंटित हुयी थी ?

-- वादीगण

2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

-- वादीगण

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में रतनलाल पुत्र रामलाल व फूलाराम पुत्र कालूराम के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व आवंटन आदेश पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

<u>तनकी संख्या 1 व 2 :-</u>

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम तिहारी के वंर्किग खसरा नम्बर 4499 रकबा 17-13-0 सिवायचक दर्ज थे। वंर्किग खसरा नम्बर 4499 मिन में से 8-16-10 आराजी वादीगण के पूर्वज रामलाल, लक्ष्मीनारायण, विजयकरण पि0 देवा व शेष 8-16-10 की आराजी सूरजमल, हंगामीलाल पि0 गोरधन, श्रवण पि0 जगन्नाथ को कैम्प ग्राम पंचायत तिहारी में दिनांक 23.06.85 को आवंटित हुयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत आवंटन दस्तावेज के पूज संख्या 2 मे कम संख्या 7 व 8 पर वादीगण के पूर्वजों का नाम आवंटी के रूप में दर्ज है। जिससे आवंटन के तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 781 दिनांक 21.5.1987 द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 4499 मिन में से 8-16-10 आराजी वादीगण के पूर्वज रामलाल, लक्ष्मीनारायण, विजयकरण पि0 देवा के नाम गैर खातेदारी दर्ज किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2046 से 2049 में भी उक्त आवंटन का नोट खसरा नम्बर 4499 रकबा 17-13-0 के कालम संख्या 5 में अंकित है। आवंटन आदेश के कम संख्या 8 में अंकित आवंटीयों के आंवटन का अंकन पूर्व राजस्व अभिलेख में नही हुआ है। वादीगण द्वारा उनके आवंटन का राजस्व अभिलेख में अंकन का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। नामान्तकरण संख्या 781 से 8-16-0 भूमि ही वादीगण के पूर्वज के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गयी थी। उक्त नामान्तकरण का अमल दरामद तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में वादीगण के पूर्वज के नाम किया गया। जिसकी ताईद वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामानतकरण से होती है। वंर्किग खसरा नम्बर 4499 रकबा 17-13-0 के हाल खसरा नम्बर 3700 रकबा 0.72, 3701 रकबा 0.44 व 3702 रकबा 1.70 को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जबकि उक्त आराजी में 8-16-0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)